(वाद सं0–4029/15)

30.09.2019

परिवादी, विनय कुमार वर्मा उपस्थित हैं।

नोटिस दिये जाने के बावजूद भी नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय की ओर से कोई भी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

प्रस्तुत मामला बेगुसराय नगर निगम के एक सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक–सह–लेखापाल, परिवादी श्री विनय कुमार वर्मा के दिनांक–01.09.2007 से 16.09.2007 तक तथाकथित पूर्ण वेतन, दिनांक–17.09.2017 से मई, 2010 तक के जीवन निर्वहन भत्ता व दिनांक–08.01.2011 से दिनांक–30. 06.2012 तक के पूर्ण वेतन के भुगतान किये जाने से संबंधित है।

गत तिथि–29.03.2019 एवं 23.07.2019 को परिवादी एवं आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय को उक्त के संबंध में उपस्थिति हेतु नोटिस निर्गत किया गया था, लेकिन आज नगर आयुक्त की ओर से न तो वे स्वयं उपस्थित हुए और न ही उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि ही उपस्थित हुए हैं।

नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय के उक्त कृत्य मानवाधिकार आयोग के निर्देश के प्रति उनकी लापरवाही को दर्शाता है। उनके द्वारा आयोग के निर्देश के प्रति उपेक्षा से आयोग दुःखित है।

कार्यालय, आज पारित आदेश तथा दिनांक–29.03.2019 एवं 23.07.2019 को पारित आदेश की प्रति संलग्न कर अगली निश्चित तिथि–06. 12.2019 को मामले से संबंधित समस्त सुसंगत कागजातों के साथ आयोग के समक्ष उपस्थिति हेतु जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को आवश्यक कार्यार्थ मामले से संबंधित विषय–वस्तु जानकारी देते हुए नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय को यह उल्लेखित करते हुए पुनः नोटिस निर्गत किया जाय कि अगर अगली निश्चित तिथि को वे स्वयं या उनके प्रतिनिधि सुसंगत कागजातों के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग को उनके विरूद्ध भा0द0स0 की धारा, 176 के अन्तर्गत कारित अपराध के लिए उनके विरूद्ध विधिनुसार कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु वाध्य हो जाना पड़ेगा।

आज परिवादी के उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली निश्चित तिथि को आयोग के समक्ष उपस्थिति होने हेतु उसे सूचित करने की आवश्यकता नहीं हे।

संचिका दिनांक–06.12.2019 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक